बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

1052
31/5/2018

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई, 2016 में प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी परम्परा फाउंडेशन के द्वारा जहानाबाद सदर तथा औरंगाबाद सदर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु पंजीकरण किया गया । पंजीकरण के आधार पर इन दोनों केन्द्रों को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें KYP code आवंटित किया गया ।

कालांतर में श्री नीरज कुमार, पिता श्री बाबु लाल चौधरी, ग्राम–टेहटा, पोस्ट–टेहटा, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद के द्वारा शपथ पत्र पर बिहार कौशल विकास मिशन को अप्रैल, 2018 में एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वे परम्परा फाउंडेशन, आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर गोलंबर, पटना के द्वारा प्रदत्त Franchisee में कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रहे हैं, जिसका KYP code 04030004 है । यह केन्द्र आर०एस० पोस्ट ऑफिस के निकट आई०डी०बी०आई० बैंक, मेन रोड, जहानाबाद के पास संचालित है, जहाँ फरवरी, 2017 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । आवेदन पत्र में उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि इस प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित करने में पूरी लागत उन्हीं का लगा है तथा इस केन्द्र के लिए रेन्ट एग्रीमेंट, बिजली बिल, इंटरनेट बिल, स्टाफ इत्यादि के पेमेंट का भुगतान उन्हीं के द्वारा किया जाता है । आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा परम्परा फाउंडेशन के साथ हस्ताक्षरित एक एकरारनामा की प्रति भी समर्पित की गयी, जिसमें केन्द्र संचालन हेतु उन्हें 3000/– रूपये प्रति सफल प्रशिक्षणार्थी भुगतान किये जाने का उल्लेख है ।

इसी प्रकार अप्रैल, 2018 में हीं श्री विनोद कुमार, निदेशक, Mega soft Education, Aurangabad -cum- Center Coordinator, परम्परा फाउंडेशन, सेंटर कोड KYP code 04010014 के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वे Mega soft Education, MG Road, Aurangabad में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ परम्परा फाउंडेशन का कुशल युवा का प्रशिक्षण केन्द्र मार्च, 2017 से संचालित है । इस केन्द्र का संचालन प्रारम्भ से हीं Mega soft Education के द्वारा किया जाता रहा है तथा इसमें उपयोग होने वाले सारे संसाधनों की व्यवस्था Mega soft Education, Aurangabad के द्वारा हीं किया गया है । Mega soft Education, भारतीय ट्रस्ट एक्ट के अधीन एक रजिस्टर्ड संस्थान है तथा आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित है तथा इसे परम्परा फाउंडेशन के द्वारा एक एकरारनामा के तहत Franchisee mode में Mega soft Education के द्वारा संचालित कराया जा रहा है, जिसके एवज में परम्परा फाउंडेशन के द्वारा Mega Soft Education को 4000/–रूपये मात्र प्रति प्रशिक्षणार्थी भुगतान किया जाता है ।

श्री नीरज कुमार तथा श्री विनोद कुमार से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–709 दिनांक–11.4.2018 के द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, सचिव, परम्परा फाउंडेशन, आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना

से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह, सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा अपने पत्र संख्या–PF/610/18 दिनांक–18.04.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

अपने स्पष्टीकरण में सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उन्होंने नीरज कुमार, जहानाबाद या विनोद कुमार, औरंगाबाद या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई एकरारनामा नहीं किया है तथा यदि इन व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई एकरारनामा समर्पित किया गया है तो वह पूरी तरह फर्जी है । उनके द्वारा उनके विरूद्ध फर्जी एकरारनामा समर्पित करने हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया । स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि ये दोनों केन्द्र पूरी तरह परम्परा फाउंडेशन के द्वारा संचालित है तथा अन्य किसी एजेंसी के साथ इसे Sublet नहीं किया गया है । श्री नीरज कुमार परम्परा फाउंडेशन के जहानाबाद सेंटर KYP code 04030004 के वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में Coordinator के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका पारिश्रमिक प्रति महीने ICICI Bank के खाता संख्या–334101504190 में भुगतान किया जाता है । साक्ष्य स्वरूप इनके द्वारा ICICI Bank से निर्गत एक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है ।

अपने स्पष्टीकरण में सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उन्होंने श्री नीरज कुमार को उपर्युक्त दोनों केन्द्रों को स्थापित करने हेतु नगद भुगतान यह कहते हुए किया है कि वे इनकी स्थापना हेतु अपनी सुविधा अनुसार कंप्यूटर आदि का क्रय कर लेगें । दिये गये राशि की सुरक्षा हेतु उनके द्वारा श्री नीरज कुमार से एक हस्ताक्षरित Blank cheque गारंटी के रूप में प्राप्त किया गया है । श्री नीरज कुमार ने चालाकी से कुछ समानों का बिल अपने नाम करा लिया है, जिसकी जानकारी उन्हें अब हुई है । अपने स्पष्टीकरण में सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी कि ये लोग उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में साजिश के तहत बाधा पहुँचा सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है । अपने स्पष्टीकरण में सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा उपरोक्त दोनों केन्द्रों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया ताकि प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण में असुविधा नहीं हो । समर्पित स्पष्टीकरण में सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा Mega Soft Education के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया ।

सचिव, परम्परा फाउंडेशन से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है । श्री विनोद कुमार, निदेशक, Mega soft Education, Aurangabad -cum- Center Coordinator, परम्परा फाउंडेशन KYP code 04010014 तथा श्री नीरज कुमार, परम्परा फाउंडेशन, जहानाबाद सदर KYP code 04030004 के द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें इन केन्द्रों को उनके द्वारा Franchisee mode में संचालित किये जाने का उल्लेख किया गया । इस आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य स्वरुप उनके द्वारा परम्परा फाउंडेशन के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति संलग्न की गयी ।

श्री विनोद कुमार तथा श्री नीरज कुमार के द्वारा समर्पित एकरारनामा की प्रति के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह एकरारनामा दिनांक 01 अगस्त, 2016 को आवेदकों तथा परम्परा फाउंडेशन के बीच हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक–31.03.2018 तक निर्धारित है । हस्ताक्षरित एकरारनामा के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस केन्द्र के लिए सभी प्रकार के Infrastructure, Training partner आदि 2nd पार्टी (आवेदकों) को उपलब्ध कराना है । एकरारनामा के Annexue-A के अनुसार सभी प्रकार के Manpower को

भी Training partner को हीं उपलब्ध कराना है तथा Annexue-C के अनुसार इसके एवज में परम्परा फाउंडेशन के द्वारा Training partner को प्रति प्रशिक्षणार्थी 3000/–रूपये की राशि भुगतान की जायेगी ।

अपने स्पष्टीकरण में सचिव, परम्परा फाउंडेशन के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि हस्ताक्षरित एकरारनामा फर्जी है । परम्परा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि छानबीन के क्रम में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि परम्परा फाउंडेशन के लिए इस एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति उनके अत्यंत हीं करीबी रिश्तेदार तथा उनके परिवार के सदस्य हैं । यदि यह हस्ताक्षरित एकरारनामा फर्जी था तो परम्परा फाउंडेशन के द्वारा 1 अगस्त, 2016 के पश्चात स्पष्टीकरण समर्पित करने की तिथि तक इसे निरस्त करने हेतु कोई वैधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी, यह विचारणीय बिन्दु है । जिस भवन में जहानाबाद केन्द्र संचालित है, उसके किरायानामा का एकरारनामा परिवादी श्री नीरज कुमार के साथ है । परिवादी के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न विपत्रों के अवलोकन से भी यह स्थापित होता है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, जहानाबाद KYP code 04030004 को स्थापित करने हेतु कंप्युटर आदि का क्रय श्री नीरज कुमार के द्वारा दिनांक–23.12.2016 को किया गया है ।

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र औरंगाबाद KYP code 04010014 MG Road,विशेन भवन, औरंगाबाद में संचालित है, जहाँ Mega Soft Education औरंगाबाद का कार्यालय अवस्थित है । यह Mega Soft Education एक निबंधित ट्रस्ट है, जिसके सचिव, श्री विनाद कुमार सिंह के पुत्र अभिषेक प्रियदर्शी तथा इसके अध्यक्ष उनकी पत्नी श्रीमती गीता सिंह हैं । इस ट्रस्ट के द्वारा एक Resolution के माध्यम से डॉ0 विनोद कुमार सिंह को Mega Soft Education Trust का डायरेक्टर नामित किया गया है। बिहार कौशल विकासव मिशन के टीम के द्वारा दिनांक–21.05.2018 को इस केन्द्र का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि परम्परा फाउंडेशन का SDC केन्द्र KYP code 04010014 Mega Soft Education Trust के भवन में हीं संचालित है तथा इस भवन पर कहीं भी परम्परा फाउंडेशन का कोई साईनबोर्ड नहीं पाया गया । इस भवन पर Mega Soft Education का साईन बोर्ड लगा पाया गया, जबकि सचिव परम्परा फाउंडेशन के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में Mega Soft Education ट्रस्ट की कोई चर्चा नहीं की गयी है तथा इसके अध्यक्ष,सचिव या निदेशक के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि Mega Soft Education के Director को इस केन्द्र हेतु Coordinator नियुक्त किया गया है, जो यह स्थापित करता है कि परम्परा फाउंडेशन का औरंगाबाद KYP code 04010014 Franchisee mode में Mega Soft Education के द्वारा संचालित है ।

आवेदकों से प्राप्त सभी कागजातों तथा सचिव, परम्परा फाउंडेशन से प्राप्त स्पष्टीकरण के विश्लेषण के पश्चात यह स्थापित होता है कि KYP code 04030004 तथा KYP code 04010014 का संचालन परम्परा फाउंडेशन के द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि जहानाबाद केन्द्र का संचालन श्री नीरज कुमार तथा औरंगाबाद केन्द्र का संचालन Mega Soft Education Trust के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें प्रति सफल प्रशिक्षणार्थी 3000/– का भुगतान परम्परा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है ।

यह तथ्यात्मक है कि SDC के प्रथम चरण के पंजीकरण के शर्तो में Franchisee mode के संचालन या नहीं संचालन के बिन्दु पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अंकित नहीं था, लेकिन सितम्बर, 2017 के महीने में जब ऐसी शिकायतें प्राप्त होने लगी कि कतिपय SDC संचालकों के द्वारा अपने केन्द्र को Franchisee mode में संचालित किया जा रहा है, तब सभी SDC संचालकों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया गया कि वे अपने साथ संबद्ध कुशल युवा प्रशिक्षण केन्द्रों को स्वयं संचालित कर रहे हैं तथा उनके द्वारा इसका संचालन Franchisee mode में नहीं हो रहा है । परम्परा फाउंडेशन के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को यह सूचित किया गया कि वे जहानाबाद एवं औरंगाबाद के केन्द्र को स्वयं संचालित कर रहे हैं तथा इन्हें उनके द्वारा किसी भी अन्य संस्था या व्यक्ति को Franchisee mode में नहीं दिया गया है ।

सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात यह प्रमाणित होता है कि SDC जहानाबाद KYP code 04030004 तथा SDC औरंगाबाद KYP code 04010014 परम्परा फाउंडेशन के द्वारा सीधे तौर पर संचालित नहीं हैं, अपितु इनका संचालन श्री नीरज कुमार तथा M/s Mega Soft Education के द्वारा किया जा रहा है तथा परम्परा फाउंडेशन के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में इन केन्द्रों को सीधे अपने द्वारा संचालित किये जाने का गलत शपथ पत्र समर्पित किया गया है । Franchisee mode में केन्द्रों के संचालन से अनावश्यक रुप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा होता है जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है । परम्परा फाउंडेशन के द्वारा विचौलिया की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में SDC जहानाबाद KYP code 04030004 तथा SDC औरंगाबाद KYP code 04010014 का स्वामित्व श्री नीरज कुमार तथा Mega Soft Education Trust के नाम पर परिवर्तित किया जाता है, जिनके द्वारा इन केन्द्रों का वास्तविक संचालन हो रहा है । श्री नीरज कुमार तथा श्री विनोद कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा Organisation name, Center Name, Owners name, Pan detail of Owner, Bank Account of Owner, email id & Mobile number of Owner की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/ परिवर्तन किया जा सके ।

ह0/-
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–26/2018–1052 पटना,दिनांक– 31/5/2018

प्रतिलिपि– (1) सचिव, परम्परा फाउंडेशन, आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) श्री नीरज कुमार, पिता श्री बाबु लाल चौधरी, ग्राम–टेहटा,पोस्ट–टेहटा, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद/ श्री विनोद कुमार सिंह,Mega Soft Education, विशेन भवन, M.G.Road, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनाथ प्रेषित ।

(3) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, जहानाबाद/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । Project Director, MKCL को निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति को सभी SDC/BSDC के संचालकों के बीच परिचारित करने का कष्ट करें ।

31/5/18

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।